स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/61 बाजपुर

जारी तिथि लागू तिथि

परिशिष्ट – "क–IX"

बाजपुर–काशीपुर स्टेशनों के मध्य स्थित इन्जी0 समपार फाटक संख्या 35 'सी' के संचालन हेतु अनुदेश

1. विवरण

1.1 सामान्य –

1	समपार फाटक की संरव्या	35 / सी श्रेणी
2	इन्जीनियरिंग / ट्राफिक	इन्जीनियरिंग
3	अधीन स्टेशन अधी0/रेल पथ निरीक्षक	सीसेई(रेलपथ)/लालकुआँ
4	किलोमीटर पर स्थित	47/12–13
5	स्टेशन	बाजपुर
6	स्टेशन मध्य	बाजपुर – काशीपुर
7	बी0जी0/एम0जी0/एन0जी0	बी0जी0
8	इकहरी / दोहरी / मिश्रित	इकहरी
9	सामान्य स्थिति	सड़क यातायात के लिए खुला
10	इण्टरलाक्ड/नान इण्टरलाक्ड	नान–इण्टरलाक्ड
11	इण्टरलाकिंग का प्रकार	–
12	गेट सिगनलों का प्रावधान किलोमीटर	
(i)	अप साइड	–
(ii)	डाउन साइड	–
13	संकेतन व्यवस्था	–
14	संचार साधन टेलिफोन/घंटी	टेलीफोन स्टेमा/बाजपुर से सम्बद्ध।
15	समपार फाटक की चौड़ाई	5.20 मीटर
16	सड़क का प्रकार (एन0एच0/एस0एच0/अन्य)	अन्य
17	सड़क का नाम	सरकरा–टांडा रोड
18	पक्का / कच्चा	कच्चा
19	पहुँच मार्ग	पक्का
20	सड़क की चौड़ाई	4.90 मीटर
21	सड़क का क्रासिंग कोण (इस्क्यू गेट के लिए)	समकोण
22	सड़क का ढाल यदि कोई हो	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	1 : 30
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	1 : 30
23	सड़क का प्रकार (सीधा/गोलाई)	
(i)	पूर्व / उत्तर की तरफ	सीधा 300 मी.
(ii)	पश्चिम / दक्षिण की तरफ	सीधा 50 मी.
24	हाइट गेज का प्राविधान	नहीं
25	बैरियर का प्रकार	लिफ्टिंग बैरियर
26	चेक रेल की लम्बाई	7.50 मीटर
27	समपार के मध्य सड़क का सतह	हेक्सागोनल ब्लाक
28	रम्बल स्ट्रिप / गति अवरोधक की लम्बाई	5.00 मीटर
29	रोड साइन	उपलब्ध
30	गति अवरोधक बोर्ड	उपलब्ध
31	टी0वी0यू0	3501, सितम्बर–2009
32	अगली गणना की तिथि	2012
33	पटाखा सिगनल लगाने का निर्दिष्ट स्थान	है

(के0 एस0 सोनाल)	(आकाश गुप्ता)	(अतुल सिंह)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)	वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर – I	मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/61 बाजपुर
जारी तिथि लागू तिथि

34	गेटमैनो की संरव्या	दो
35	निकटतम रेलवे सहायता केन्द्र	काशीपुर
36	निकटतम निजी चिकित्सा सहायता की उपलब्धता यदि कोई हो	सुल्तानपुर
37	उपलब्ध उपकरणों की सूची हॉ / नही	हाँ

1.2 उपकरण –

कम.सं.	सामग्री	संख्या
1	हाथ सिगनल बत्ती (K. Oil)	02
2	हरी हाथ झंडी	01
3	लाल हाथ झंडी	03
4	बैनर फ्लैग लाल	03
5	लाल बैनर फ्लैग लगाने हेतु पोस्ट	02
6	तालों के साथ अतिरिक्त चेन (जंजीर)	02 (स्टाप डिस्क के साथ)
7	पटाखा सिगनल	10
8	ट्राय कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प (बैट्री लिट)	01
9	गेट लैम्प	02
10	टोमीवार	01
11	मोर्टार पैन (तसला)	01
12	फावड़ा/बेल्चा	01
13	दुर्मुठ	01
14	पिक एक्स	01
15	टिन केस झंडी के लिए	01
16	कैन मिटटी के तेल हेतु	01
17	बाल्टी/पानी पीने का बर्तन	01
18	टिन केस मस्टर शीट के लिए	01
19	चश्मों का अतिरिक्त सेट जो चश्मा लगाते है (दृष्टि वाला)	01
20	गेट पर अवरोध की दशा में समपार की संरक्षा हेतु प्रदर्शित डायग्राम	01
21	टोकरी	01
22	सीटी (Thunder Whistle)	03
23	दीवार घड़ी	01
24	छोटी चेन व पैडलॉक (बूम लॉकिंग हेतु)	02

1.3. गेट लाज पर रखे जाने वाले अभिलेख –

(1) गेट का कार्यकारी अनुदेश हिन्दी में।
(2) गेटमैन नियम पुस्तिका स्थानीय भाषा में।
(3) पुस्तकों एवं उपकरणों की सूची।
(4) डियूटी रोस्टर।
(5) गेटमैन का कार्य करने का प्रमाण पत्र।
(6) गेटमैन का बायोडाटा, नेत्र जांच, प्रारंभिक पुनश्चर्या, संरक्षा कैम्प इत्यादि।
(7) दुर्घटना रजिस्टर।
(8) समपार फाटक पर अंतिम गणना का अभिलेख।
(9) निरीक्षण पुस्तिका।
(10) जन प्रतिवेदन पुस्तिका।

(के0 एस0 सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(आकाश गुप्ता)
वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर – I
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

1.4. गेटमैन के कर्त्तव्य :

(1) सावधानी

गेटमैन सदैव किसी भी अप्रत्याशित घटना के लिये की जाने वाली त्वरित कार्यवाही के प्रति सावधान रहेगा। गाड़ियों के संचलन के दौरान समपार फाटक की चाभी गेटमैन के व्यक्तिगत कब्जे में रहेगी।

(2) ट्रेन के समपार फाटक से गुजरते समय फाटक वाले की स्थिति

ट्रेन के गुजरने की स्थिति में गेटमैन बतायी गयी निम्नलिखित स्थिति में खड़ा रहेगा।

(i) गेटमैन सतर्कतापूर्वक गेटलाज के सामने आती हुयी ट्रेन के तरफ मुँह करके खड़ा रहेगा।

(ii) दिन में गेटमैन दॉये हाथ में सिमटी लाल झण्डी तथा बायें हाथ में सिमटी हरी झण्डी डण्डे में लगी हुई लिये रहेगा।

(iii) रात्रि समय में गेटमैन जलती हुयी सफेद हाथ बत्ती लाइन के तरफ दिखाता हुआ खड़ा रहेगा।

(iv) गेटमैन गले में धागे में बांधकर सीटी लटकाये रहेगा।

(3) गेटमैन की नियमित ड्यूटी

(i) गेटमैन जब समपार फाटक, सड़क यातायात के लिये खुला हुआ हो तो रेल पथ पर समपार के दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।

(ii) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि गेट लैम्प को सूर्यास्त से सूर्योदय तक लगातार जलते हुए स्थिति में रखेगा।

(iii) गेटमैन अपनी ड्यूटी निश्चित रूप से ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करेगा और जब तक कार्यमुक्त करने हेतु साथी आ न जाये और वह गेट का कार्यभार ग्रहण न कर ले, तब तक गेटमैन गेट छोड़कर नहीं जायेगा। गेटमैन को यदि आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक से हटना अपरिहार्य हो तो वह गेट छोड़ने से पूर्व गेट को सड़क यातायात के लिए बंद करके ताला लगायेगा।

(iv) इन निर्देशों के अतिरिक्त गेटमैन गुजरती हुयी ट्रेन को देखता रहेगा और ट्रेन की संरक्षा हेतु कार्य करने के लिए तत्पर रहेगा।

(v) गेटमैन गुजरती हुयी सभी ट्रेनों पर पैनी नजर रखेगा जिससे किसी अप्रत्याशित घटना जैसे– हॉट एक्सल (गर्म धुरा), लटकती हुई चैन, लटकती हुई बैट्री, किसी वाहन/वैगन/ट्रेन/बैट्री बाक्स में आग लगी हो, ब्रेक ब्लाक, ब्रेक बीम, सेफ़्टी ब्रेकेट, वैक्यूम सिलेन्डर आदि का लटकना, गिरना जिसके कारण ट्रेन की संरक्षा बाधित हो का पता लगाकर आवश्यक कार्यवाही करेगा।

(vi) गेटमैन गार्ड द्वारा ड्राइवर को वाकी–टाकी अथवा किसी अन्य माध्यम से दिये गये संकेतों को दोहराने के लिए तैयार रहेगा।

(vii) समपार फाटक का बैरियर गेट क्षतिग्रस्त अथवा खराब होने की दशा में गेटमैन अतिरिक्त चैन डिस्क एवं तालों का प्रयोग कर सड़क यातायात बंद करेगा।

(viii) गेटमैन अपने गेट की किसी भी खराबी के लिए यथाशीघ्र स्टेशन मास्टर/बाजपुर, गैंग मेट अथवा रेल पथ निरीक्षक को सूचित करेगा।

(ix) जब गेटमैन अपने कार्य पर रहेगा तो वह निर्धारित वर्दी एवं बैज धारण करेगा।

(x) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि ड्यूटी के समय उसके पास दक्षता प्रमाण पत्र उपलब्ध है।

(xi) गेटमैन, गेट संचालन नियमों के अनुरूप कार्य करेगा तथा नियमों के बारे में पूर्णरूपेण जानकारी रखेगा।

(xii) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि उसके गेट पर आपूर्ति किये गये सभी उपकरण अच्छी स्थिति में है एवं तत्काल प्रयोग हेतु तैयार है।

(xiii) गेटमैन यह सुनिश्चित करेगा कि समपार पर चैक रेल गैप साफ है।

(xiv) गेटमैन समपार फाटक की सड़क को (कच्ची सड़क) पानी छिड़ककर एवं दुरमुट से ठोककर ठीक रखेगा।

(xv) गेटमैन सड़क प्रयोगकर्ताओं की, गेट को बंद रखने की स्थिति से उत्पन्न असुविधाओं के प्रति सतर्क रहेगा तथा ध्यान देगा कि समपार फाटक कम से कम समय के लिए बन्द हो।

(xvi) जहां तक संभव हो गेटमैन मनुष्यों, वाहनों अथवा जानवरों के अवैध आवागमन पर रोक लगायेगा।

(4) ट्रेन की असामान्य स्थिति में किया जाने वाला कार्य

यदि गेटमैन किसी पास हो रही गाड़ी में कोई असामान्य बात देखता है तो वह निम्न कार्य करेगा ।

(i) वह तत्काल ही ड्राइवर/गार्ड को दिन में लाल झण्डी तथा रात में लाल बत्ती दिखाकर सचेत करेगा।

(ii) साथ ही साथ ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए लगातार सीटी बजायेगा, चिल्लायेगा, असामान्य हाव–भाव प्रदर्शित करेगा तथा ब्रेकवान पर पत्थर फेकेगा अथवा कोई अन्य साधन अपनायेगा।

(iii) यदि ड्राइवर/गार्ड उपरोक्त कार्यों के उपरांत भी ध्यान नहीं देते हैं तो वह स्टेशन मास्टर/बाजपुर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए तो तद्नुसार कार्यवाही करने हेतु सूचित करेगा।

(iv) **किसी ट्रेन के विभक्त (पार्टिंग) हो जाने की दशा में गेटमैन रोक हैण्ड सिगनल (लाल) नहीं दिखायेगा बल्कि वह दिन में हरी झन्डी तथा रात में सफेद बत्ती ऊपर–नीचे करके निर्धारित संकेत करेगा।**

(v) वह ड्राइवर/गार्ड का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास लगातार सीटी बजाकर, चिल्लाकर, असामान्य हाव–भाव प्रदर्शित करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर तुरन्त दोनों हाथों को अलग करके पुनः दोनों हाथों को सटाते हुए पुनः हाथों को बिल्कुल नीचे करते हुए निर्धारित संकेत करेगा।

(vi) ऐसा करने से यदि ट्रेन नहीं रूकती है तो गेटमैन तुरन्त टेलीफोन पर स्टेशन मास्टर/बाजपुर को उचित कार्यवाही करने हेतु गोपनीय संख्या के आदान–प्रदान के अन्तर्गत इसकी सूचना देगा।

(5) आपातकालीन स्थिति में समपार फाटक पर की जाने वाली कार्यवाही

(i) समपार फाटक पर कोई अवरोध आ जाने पर वह लाइन पर दोनों तरफ दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती निर्धारित स्थान पर लगायेगा।

(ii) इसके उपरान्त यदि गेटमैन अवरोध हटाने में सक्षम नहीं है तो वह स्टेशन मास्टर/बाजपुर को टेलीफोन पर प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान करते हुए गेट की खराबी/अवरोध के बारे में तत्काल सूचित करेगा।

(iii) यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर/बाजपुर कोई प्रत्युत्तर नहीं देते है तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के बाद पुनः टेलीफोन से सूचित करेगा।

1.5 <u>गेटमैन गेट की संरक्षा (बचाव) निम्नलिखित अनुसार करेगा</u>

(अ) <u>इकहरी लाइन पर</u>

(i) गेटमैन दिन में लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती 5 मीटर दूर निर्धारित पोस्ट पर सर्वप्रथम उस तरफ लगा देगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना है।

(ii) इसके पश्चात उसी तरह दिन में दूसरा लाल बैनर फ्लैग तथा रात्रि में लाल बत्ती लाइन की दूसरी ओर अवरोध से 5 मीटर की दूरी पर लगायेगा।

(iii) गेट मैन तब पटाखे लेकर दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राय कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर गेट को संरक्षित करने के लिये आगे बढ़ेगा।

(iv) गेट मैन दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राय कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प दिखाते हुये पहले लाइन पर उस दिशा में बढ़ेगा जिधर से ट्रेन के आने की सम्भावना है तब समपार/अवरोध से 600 मीटर पर एक पटाखा लगा देगा उसके पश्चात वह समपार/अवरोध से 1200 मीटर की दूरी पर तीन पटाखे 10–10 मीटर की दूरी पर लगायेगा। इस प्रकार लाइन को संरक्षित करने के उपरान्त वह समपार पर लौटते हुये पूर्व में 600 मीटर पर लगाये गये पटाखा उठा लेगा।

(v) इसके बाद वह लाल झण्डी दिखाते हुये उसी प्रकार जैसा क्रमांक (iv) में वर्णित है लाइन की दूसरी तरफ पटाखा लगायेगा तथा समपार की तरफ लौटते हुये बीच का पटाखा उठा लेगा।

(vi) समपार गेट पर लौटने के पश्चात् गेटमैन अवरोध को हटाने तथा आने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सचेत करने का प्रयास करेगा।

(vii) उन परिस्थितियों में जब गेटमैन रास्ते में ही है और निर्दिष्ट स्थानों पर जहॉ पटाखे लगाये जाते हैं, पहुॅचने के पूर्व ही वह ट्रेन को आते देखता है अथवा ट्रेन की आवाज सुनाई पड़ती है तो वह जहॉ तक पहुॅच सकता है उसी स्थान पर पटाखा लगा देगा।

(viii) उसके उपरान्त गेट मैन दिन में लाल झण्डी दिखाकर एवं रात्रि में लाल ट्राय कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प चालक को दिखाकर सचेत करेगा/रोकेगा।

(ब) <u>गेटमैन द्वारा किये जाने वाली अन्य कार्यवाही</u>

(i) यदि समपार गेट किसी वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है और वाहन ट्रैक को बाधित कर रहा है, या बैरियर गेट का अन्य कोई भाग ट्रैक को रहा है या गेट पर अन्य कोई अवरोध है तो गेटमैन तुरन्त कार्यवाही करेगा।

(ii) गेटमैन सड़क वाहन का विवरण लिखेगा जैसे– वाहन संख्या, ड्राइवर का नाम, मालिक का नाम और गेटमैन स्टेशन मास्टर/बाजपुर अथवा रेल पथ निरीक्षक को किसी संदेशवाहक या अन्य उपलब्ध संसाधनों के द्वारा सूचित करेगा।

2. समपार फाटक के संचालन हेतु विशेष अनुदेश –

2.1 संचालन पद्धति –

समपार फाटक को सड़क यातायात के विरूद बंद करने के लिए कार्यरत गेटमैन विंच को तब तक संचालित करेगा जब तक कि बैरियर नीचे आकर समतल स्थिति में बूम पोस्ट पर स्थिर न हो जायें। वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर के बीच में कोई सड़क वाहन न फॅस जाए। विंच को इस स्थिति में पाशित (Lock) करने के लिए 'ई' प्रकार के पाश (Lock) से चाभी 'आर–।' को निकाल लेगा तथा इसे बूम लॉक लीवर में लगाकर घुमायेगा जो लीवर को मुक्त करेगी। लीवर को विपरीत दिशा में खीचनें से बूमों को क्षैतिजीय स्थिति में पाशित करेगा। गेटमैन चाभी 'आर' बूम लॉक लीवर से निकालकर चाबी 'आर' को अपने पास रखेगा। गेटमैन, दिन के समय बाये हाथ में सिमटी हुई हत्थेदार हरी झण्डी तथा दाहिने हाथ में लाल झण्डी तथा रात के समय सफेद प्रकाश वाला हैंड सिगनल लैम्प ट्रैक की तरफ दिखाता हुआ गेट लाज के पास खड़ा होकर गाड़ी के समपार फाटक से सुरक्षित गुजरने का प्रेक्षण करेगा।

समपार फाटक को सड़क यातायात के लिए खोलने के लिए चाभी 'आर' को बूम लाक लीवर में लगे 'ई' प्रकार के लॉक में लगाकर घुमाएगा तथा बूम लाक लीवर को सामान्य करके चाभी 'आर–।' निकालेगा, चाभी 'आर–।' विन्च में लगे 'ई' प्रकार के लॉक में लगाकर घुमाएगा। गेटमैन विन्च को तब तक संचालित करेगा जब तक कि लिफिटंग बैरियर ठीक ऊपर लम्बवत उठ न जाये।

समपार फाटक को गाड़ी के संभावित आगमन एवं प्रस्थान के समय से अधिकतम 10 मिनट पहले बंद करना चाहिए। किसी भी दशा में एक समय में फाटक को 12 मिनट से अधिक समय के लिए बन्द नहीं रखना चाहिए।

2.2 प्राइवेट नम्बर का आदान–प्रदान :–

(I) गाड़ियों का प्रस्थान :–

1. कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर गेटमैन को गाडी का नम्बर, विवरण, दिशा एवं गेट से गाडी पास होने का संभावित समय गोपनीय संख्या के आदान–प्रदान के अन्तर्गत बतायेगा।
2. यह सूचना प्रस्थान प्राधिकार देने से पूर्व दी जायेगी।
3. गेटमैन यह सूचना प्राप्त करने के बाद गेट को समय से बन्द एवं पाषित करेगा और इसकी पुष्टि स्टेशन मास्टर/बाजपुर को गोपनीय संख्या के आदान–प्रदान के साथ करेगा।
4. स्टेशन मास्टर/बाजपुर गेटमैन से इस गोपनीय संख्या की प्राप्ति के बाद ही प्रस्थान प्राधिकार गाड़ी के चालक को देगा।
5. इस प्रकार एक बार किसी गाड़ी के लिए बन्द किया गया गेट तब तक नहीं खोला जायेगा जब तक वह गाड़ी सुरक्षित समपार से पास न हो जाये तथा गेटमैन TL/LV देखकर यह सुनिश्चित न कर ले कि गाड़ी पूरी पास हो गई है।

(II) गाड़ियों का आगमन :–

1. स्टेशन मास्टर/बाजपुर किसी गाड़ी का लाइन क्लियर स्टेशन मास्टर/काशीपुर को देने से पूर्व गाड़ी का नम्बर, विवरण एवं समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय गोपनीय संख्या के आदान–प्रदान के अन्तर्गत पूछेगा।
2. तब स्टेशन मास्टर/बाजपुर इस सूचना को गेटमैन को गोपनीय संख्या के आदान प्रदान के अन्तर्गत देगा।
3. गेटमैन गेट को सड़क यातायात के विरूद्व बन्द करके अपनी गोपनीय संख्या स्टेशन मास्टर/बाजपुर को देगा।
4. गेटमैन से इस गोपनीय संख्या के प्राप्त होने के बाद ही स्टेशन मास्टर/बाजपुर स्टेशन मास्टर/काशीपुर को गाड़ी का लाइन क्लियर देगा।

5. इस प्रकार एक बार किसी गाड़ी के लिए बन्द किया गया गेट तब तक नहीं खोला जायेगा जब तक वह गाड़ी सुरक्षित समपार से पास न हो जाये तथा गेटमैन TL/LV देखकर यह सुनिश्चित न कर ले कि गाड़ी पूरी पास हो गई है।

नोट :– स्टेमा/गेटमैन इन सूचनाओं की प्रविष्टि अपनी लॉग–बुक में निम्न प्रकार करेगा –

स्टेशन मास्टर की लाग बुक

तिथि	गाड़ी सं0	स्टेशन मास्टर द्वारा सूचना देने का समय	समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	स्टेशन मास्टर का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन से सूचना प्राप्ति का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करके दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

गेटमैन की लाग बुक

तिथि	गाड़ी सं0	समपार से गाड़ी गुजरने का सम्भावित समय	स्टेशन मास्टर द्वारा दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा स्टेशन मास्टर को दिया गया प्राइवेट नम्बर	गेटमैन द्वारा गेट बन्द करके दिया गया प्राइवेट नम्बर	स्टेशन मास्टर का प्राइवेट नम्बर	गेटमैन का हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8

2.3 टेलीफोन संचार की विफलता –

जब टेलीफोन संचार विफल हो जाय अथवा दो या तीन प्रयास के बाद भी गेटमैन के तरफ से कोई प्रत्युत्तर न प्राप्त हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर निम्न कार्यवाही करेगा–

1. कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा।
2. गेट के तरफ आने वाली गाडियों के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर स्टेशन मास्टर/काशीपुर को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि टेलीफोन खराब है।
3. तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर/काशीपुर गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए एवं गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
4. जारी किये गये सतर्कता आदेश में ड्राइवर को समपार फाटक के तरफ सावधानीपूर्वक लगातार सीटी बजाते हुए एवं गेटमैन के हाथ सकेंत का पालन करते हुए सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़ने का निर्देश होगा।
5. ड्राइवर को गेटमैन द्वारा हाथ संकेत देने पर समपार फाटक को सतर्कतापूर्वक पार करने का निर्देश दिया जायेगा। यदि हाथ संकेत नहीं दिखायी देता है तो ड्राइवर को समपार गेट के पहले रूककर अपने सहायक ड्राइवर को समपार फाटक की स्थिति जानने के लिये भेजेगा। यदि समपार फाटक बन्द है तो सहायक ड्राइवर 'सभी ठीक है' सिगनल देगा और यदि समपार फाटक बन्द नहीं हैं तो सहायक ड्राइवर समपार फाटक को अवश्य बन्द करेगा और तब 'सभी ठीक है' संकेत देगा। सहायक ड्राइवर की अनुपस्थिति में ड्राइवर सहायक गार्ड की सहायता लेगा।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर गेटमैन को भी गैंग मैन/पेट्रोल मैन/प्रथम गाड़ी के ड्राइवर द्वारा टेलीफोन रवराब होने की सूचना देगा।
7. कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर संकेत एवं दूरसंचार विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र टेलीफोन ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
8. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब संकेत एवं दूरसंचार विभाग टेलीफोन ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

(के0 एस0 सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(आकाश गुप्ता)
वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर – I
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

2.4 **लिफ्टिंग बैरियर या बूम लॉकिंग की विफलता :-**

1. जब लिफ्टिंग बैरियर गेट रवराब हो जाने के कारण गेट बन्द न किया जा सके तो गेटमैन तुरन्त प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करके कार्य पर उपस्थित स्टेशन मास्टर/बाजपुर को सूचित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि रेल पथ को बाधित नहीं कर रहा है।
2. बूम लॉकिंग विफल होने पर इस सम्बन्ध में प्रदत्त छोटी चेन को प्रत्येक बूम को बूम पोस्ट से बांध कर बूम को पैडलॉक द्वारा लॉक करेगा।
3. गेटमैन तुरन्त दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार पर निर्दिष्ट स्थान (पोस्ट) पर सर्वप्रथम उस तरफ लगायेगा जिस तरफ से गाड़ी आने की सम्भावना हो तदपरान्त समपार के दूसरी तरफ लगायेगा।
4. गेटमैन समपार को सड़क यातायात से रोकने के लिए सुरक्षा चेन और तालों द्वारा बन्द करेगा।
5. सड़क यातायात को सुरक्षित करने के उपरान्त गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती आती हुयी गाड़ी के ड्राइवर को दिरवायेगा।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए एवं गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
7. जब गाड़ी काशीपुर के तरफ आने वाली है तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि लिफ्टिंग बैरियर रवराब है तथा गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करे तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर गेट के तरफ जाने वाली गाड़ी के ड्राइवर को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह लगातार सीटी बजाते हुए एवं गेटमैन के हाथ संकेत का पालन करते हुए सतर्कतापूर्वक गेट की तरफ आगे बढ़े।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर इन्जी0 विभाग जो अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है को अति शीध्र लिफ्टिंग बैरियर गेट ठीक करने के लिए लिखित सूचना देगा।
9. सामान्य कार्य प्रणाली उसी समय प्रारम्भ की जायेगी जब इन्जी0 विभाग गेट ठीक करके संयोजन/फिट मेमो देगा।

2.5 **समपार फाटक पर अवरोध :-**

1. यदि कोई सड़क वाहन समपार फाटक को तोड़कर रेल पथ को बाधित कर रहा है या लिफ्टिंग बैरियर या गेट का कोई अन्य भाग रेल पथ को बाधित कर रहा है या यदि अन्य कोई बाधा गेट पर है तो गेटमैन तत्काल ही दिन में लाल बैनर फ्लैग एवं रात्रि में लाल बत्ती समपार के दोनों तरफ इस कार्य के लिये लगाये गये पोस्टों पर लगायेगा।
2. इसके तुरन्त बाद ही गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
3. गेटमैन कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर को यदि किसी ट्रेन के लिये प्रस्थान प्राधिकार दिया गया हो तो उसे वापस मॅगाने के लिए सूचित करेगा। यदि कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर ने काशीपुर को किसी गाड़ी के लिये लाइन क्लीयर दिया हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर को प्राइवेट नं0 का आदान प्रदान करते हुये अवरोध के बारे में सूचित करेगा।
4. यदि दो या तीन प्रयासों के बाद भी कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर से कोई प्रत्युतर नहीं प्राप्त होता है तो गेटमैन सर्वप्रथम समपार फाटक को संरक्षित करने के उपरान्त टेलीफोन द्वारा सूचित करेगा।

5. गेटमैन पटाखा लेकर दिन में लाल झण्डी तथा रात्रि में लाल ट्राय कलर फ्लैशिंग हैण्ड सिगनल लैम्प लेकर तेजी से जिस तरफ गाड़ी का आगमन संभावित हैं, की तरफ रेल पथ को 'गेट मैनो' की कार्य प्रणाली सामान्य निर्देश के मद संख्या 1.5 के अनुसार संरक्षित करेगा।

6. तदोपरान्त गेटमैन गेट को दूसरी तरफ संरक्षित करेगा।

7. गेटमैन सड़क वाहन के विवरणों जैसे– चालक का नाम सड़क वाहन के मालिक का नाम लिखकर स्टेशन मास्टर/बाजपुर को सूचित करेगा तथा स्टेशन मास्टर/बाजपुर तब तक गाड़ी को नही चलायेगा जब तक गेटमैन ये नहीं बता देता है कि सड़क वाहन या लिफ्टिंग बैरियर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहे हैं।

8. कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर स्टेशन मास्टर/काशीपुर को प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए सूचित करेगा कि वह अपने तरफ से कोई गाड़ी ब्लाक खण्ड में न भेजे जब तक रेल पथ से बाधा हटा न दिया जाय।

9. रेल पथ से बाधा हटा दिये जाने के बाद गेटमैन प्राइवेट नम्बर का आदान प्रदान करते हुए कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर को सूचित करेगा तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर यही सूचना कार्यरत स्टेशन मास्टर/काशीपुर को गोपनीय संख्या के आदान प्रदान के अन्तर्गत देगा।

10. तब कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर/काशीपुर सभी ट्रेन के चालकों को लगातार सीटी बजाते हुए सर्तकता पूर्वक जाने एवं गेटमैन द्वारा हाथ (हरा) संकेत देने पर सावधानीपूर्वक पार करने हेतु सर्तकता आदेश जारी करेगा। यदि गेट टूटा हो परन्तु गेट पर कोई व्यवधान न हो।

11. गेटमैन समपार फाटक को संरक्षा चेन एवं तालों द्वारा सड़क यातायात के लिये संरक्षित करेगा तथा उसके बाद यदि कोई व्यवधान नहीं है तो गेटमैन दिन के समय हत्थेदार हरी झण्डी तथा रात्रि में हरी बत्ती गुजरती हुयी गाडियों को दिखायेगा।

12. कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर जिम्मेदार इन्जी0 स्टाफ को गेट के शीघ्र मरम्मत के लिए लिखित सूचना देगा।

13. सामान्य स्थिति केवल इन्जी0 स्टाफ के मरम्मत के बाद संयोजन/फिट मेमो देने के बाद ही होगी।

2.6 समपार फाटक के समीप रेल पथ पर अवरोध –

यदि किसी रेल का टूटना, रेल पथ पर पेड़ गिरने से कोई अवरोध, सड़क वाहन द्वारा बाधा अथवा कोई अवपथन जो गेटमैन को दिखाई देता हो तो गेटमैन तथा कार्यरत स्टेशन मास्टर/बाजपुर मद सं 2.5 में वर्णित निर्देश के अनुसार कार्यवाही करेंगे यदि कोई अवरोध समपार फाटक को बाधित करता हैं तो गेटमैन सड़क यातायात के लिये सड़क को उस समय तक बन्द रखेगा जब तक रेल पथ से बाधा हटा नही दिया जाये।

————————————

(के0 एस0 सोनाल)	(आकाश गुप्ता)	(अतुल सिंह)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा0)	वरिष्ठ मण्डल इन्जीनियर – I	मण्डल सिग0 एवं दूरसंचार इन्जी0
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर	पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर